विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2023 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-11 का उत्तरालेख

| प्रश्न | उत्तर |
| --- | --- |
| 11 (क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि पूर्वांचल डिस्कॉम के विद्युत पोल निर्माण इकाई में केन्द्रीय निधि-राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत पोल क्षमता विस्तार कार्यो में लगभग 8 करोड़ रूपये की अनियमितताये की गयी है, जिसकी सप्रमाण शिकायत इसी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा की गई, जिसके उपरान्त पूर्वांचल डिस्कॉम स्तर पर गठित उच्चस्तरीय जॉच समिति के आख्या के आधार पर प्रबंध निदेशक, पूर्वांचल विद्वुत वितरण निगम लि0 द्वारा जारी पत्र संख्या-913/पू0वि0वि0 नि0लि0(वा0)/(अनु0 कार्य0) /597/668 दिनांक-11/04/2022 के आदेश में वित्तिय अनियमितता को स्वीकार करते हुए, इस प्रकरण की जॉच प्रवर्तन निदेशालय से कराने की संस्तुति की गई है? | प्रकरण की विधिवत् जॉच की गयी। लगाये गये आरोपो के संबंध में विस्तृत जॉचोपरान्त प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी द्वारा कार्यवाही हेतु कोई सुस्पष्ट आधार नहीं पाये जाने पर उनके आदेश संख्या-913/ पू0वि0वि0नि0लि0(वा0)/अनु0कार्य0/597/668, दिनांक 11.04.2022 द्वारा निक्षेपित किया गया। |
| (ख) उक्त प्रकरण की जॉच प्रवर्तन निदेशालय से कराने हेतु कोई कार्यवाही की गई? | उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण की जॉच प्रवर्तन निदेशालय से कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। |
| (ग) यदि हॉ, तो उसकी जॉच रिपोर्ट कब तक आयेगी? | प्रश्न नहीं उठता। |
| (घ) यदि नहीं, तो क्यों ? | प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी के कार्यालय आदेश सं0-913/ पू0वि0वि0नि0लि0(वा0)/अनु0कार्य0/ 597/668, दि0-11.04.2022 द्वारा समस्त प्रकरणों को निक्षेपित किया गया। उपरोक्त आदेश में कोई नवीन जॉच कराने का औचित्य नहीं पाया गया। |

ए.के. शर्मा

ऊर्जा मंत्री